132/2016

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 132/2016 अनवानी श्री बृजलाल पुत्र श्री चन्दूराम जाति कुम्हार निवासी गांव डूंगरसिंहपुरा तहसीलदार सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर बनाम जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

11–02–2017

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। अपीलार्थी श्री बृजलाल व उनके अभिभाषक श्री पृथ्वीराज शर्मा उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी, जिला रसद अधिकारी के प्रतिनिधि श्री संदीप गोड, प्रवर्तन अधिकारी उपस्थित है। दोनो पक्षो की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलार्थी एवं उसके अभिभाषक का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 14.06.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर से 2 बिन्दुओ की सूचनांए चाही गई थी जो उनके द्वारा जानबूझकर उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाई जावे।

इसके विरीत विभागीय प्रतिनिधि का कथन है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना जिस प्रारूप में चाही गई है उस प्रारूप में सूचना उनके कार्यालय में उपलब्ध नही है। इस संबंध में अपीलार्थी को पत्र दिनांक 13.07.2016 के द्वारा समय अवधि में सूचित कर दिया गया था। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री बृजलाल ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदनपत्र दिनांक 14.06.2016 के द्वारा निम्न सूचनांए लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर से चाही थी:–

1– परिवार राशन कार्ड न0 31 सरपंच ग्राम पंचायत जानकीदासवाला पंचायत समिति सूरतगढ द्वारा जारी बीपीएल कार्ड पर गेहूं 45 किलो प्रति माह के हिसाब से माह मई 2013 व अक्टूबर 2013 से नवम्बर 2013, व मार्च 2014, जून, जुलाई, अगस्त, सितम्बर 2014, दिसम्बर 2014, मार्च 2015, अप्रेल 2015 व जनवरी 2016 से जून 2016 तक कुल 18 माह की गेहूं कितनी वितरित की गई तथा 45 किलो के हिसाब से देय कनक थी, लेकिन काफी बार 25 किलो प्रतिमाह दी है। कुल कितना गेहूं दिया गया की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।

2– ग्राम पंचायत जानकीदासवाला पंचायत समिति सूरतगढ मृत्तक व्यक्तियों के 6 कार्ड अन्तोदय 35 किलो गेहूं प्रतिमाह सन 2013 में 6 माह तक बीपीएल 3 कार्ड मृत्तक के 75 किलो गेहूं प्रतिमाह सन 2013 (6 माह तक) स्टेट बीपीएल के 32 कूपन जारी गेहूं 33 कूपन की गेहूं सन 2013 में उठी2 माह तक कुल 18 क्विंटल से अधिक गेहूं उठी है। इन सभी कार्डधारियो कार्डो की व कूपनो की एवं वितरण रजिस्टर जानकीदासवाला के माह जनवरी 2013 से दिसम्बर 2013 तक 12 माह की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें। यह समस्त सूचना जनवरी 2013 से दिसम्बर 2013 तक 12 माह की सभी सूचनांए पूर्ण विवरण सहित उपलब्ध करावें।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन संख्या 5501 दिनांक 23.08.16 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चााही गई सूचना उनके कार्यालय में संधारित नही होने के कारण आरटीआई की धारा 2(च) व 7(9) के तहत देय नही है इस संबंध में अपीलार्थी को पत्र सं0 4647 दिनांक 13.07.16 के द्वारा सूचित कर दिया गया था।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

PTO

A3/2 132/2016 जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर

जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपने पत्र सं0 4647 दिनांक 13.07.16 के द्वारा निम्नानुसार सूचित किया गया हैः—

> उपरोक्त सूचना जिस प्रारूप में आप द्वारा चाही गई है कार्यालय में संधारित नही है जो आरटीआई की धारा 2(च) व 7(9) के तहत देय नही है। राज0 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2च में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलेक्ट्रोनिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रैस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, मॉडल, आंकड़ो संबंधी सामग्री शामिल है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओ का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नो के उत्तर देना अपेक्षित नही है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है।
>
> इस प्रकार खोजकर खोजे गये तथ्यो के आधार पर नई सूचना बनाकर दिया जाना सूचना का अधिकार के तहत नही आता! सूचनायें एकत्रित कर उपलब्ध करवाना ऐसा कार्य है जो कार्यालय के संसाधनो को अनुपातिक रूप से विचलित करता है। अतः आरटभ्आई में धारा 7(9) में ऐसी सूचना उपलब्ध कराया जाना वर्जित है। अतः आपका आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगे जाने वाली सूचना स्पष्ट होनी चाहिए और किसी निश्चित अभिलेख की होनी चाहिए और जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।**

फिर भी लोक सूचना अधिकार अधिनियम की भावनाओ को देखते हुए बिन्दु सं0 1 की सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवाया जाना उचित प्रतित होता है जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जावे। जहां तक बिन्दू सं0 2 का संबध में है इसमें अपीलार्थी को हिदायत की जाती है कि वह इस सूचना से संबंधित कार्डधारियों का पूर्ण विवरण देंवें और विवरण प्राप्त होने पर इस बिन्दु पर लोक सूचना अधिकारी निर्णय लेवे।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील उक्तानुसार निस्तारित की जाती है। लोक आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 11.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर